स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति
वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) ('द इंस्टीट्यूशन') के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट और वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित.

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2023 तक संस्थान के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए इसका लाभ और इसका नकदी प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष विचार देते हैं.

अभिमत का आधार

2. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों ('एसए') के अनुसार वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट किया. उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में आगे वर्णित किया गया है. हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया है, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं.

हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है.

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
i.	**अनर्जक अग्रिमों की पहचान और अग्रिमों का प्रावधान:** अग्रिम बैंक की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को गैर-निष्पादित अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात में बैंक के सकल अग्रिमों के अनुपात में मापा जाता है. बैंक का अग्रिम कुल संपत्ति का 35.71% है और बैंक का सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात शून्य है. भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देश आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") पर एनपीए की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी संपत्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित करते हैं. बैंक को मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों को लागू करके एनपीए के लिए आवश्यक पहचान और प्रावधान निर्धारित करने के लिए अपने निर्णय को लागू करने की भी आवश्यकता है. एनपीए की पहचान कुछ क्षेत्रों में तनाव और तरलता संबंधी चिंताओं जैसे कारकों से प्रभावित होती है. चूंकि अभी तक किसी एनपीए की पहचान नहीं की गई है, इसलिए एनपीए की उम्र बढ़ने और एनपीए के वर्गीकरण, रिकवरी अनुमान, सुरक्षा के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर एनपीए के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है और यह आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान मानदंडों के अधीन है. इसके अतिरिक्त, बैंक उन जोखिमों पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अग्रिम और पहचाने गए अग्रिम या समूह अग्रिम शामिल हैं जो संभावित रूप से एनपीए में जा सकते हैं. हमने मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में एनपीए के लिए पहचान और प्रावधान को माना है.	**हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया:** - एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए बैंक की नीतियों पर विचार करना और आईआरएसी मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. आईआरएसी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर बिगड़ा हुआ खातों की पहचान के आसपास प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रण सहित) के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझना, मूल्यांकन और परीक्षण करना. - बैंक और आरबीआई के निरीक्षण तंत्र के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न ऑडिट की टिप्पणियों के साथ मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की. - मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना. - तनावग्रस्त ऋण खातों की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट की जांच करना. - बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट विचार-विमर्श करना जहां क्रेडिट जोखिम माना जाता है और जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदम. -हमने नियामक पैकेज और संकल्प ढांचे के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण सहित एनपीए से संबंधित प्रासंगिक लेखा मानकों और भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं के विरुद्ध प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का आकलन किया. अग्रिमों के प्रावधान के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया: - अग्रिमों के प्रावधान के लिए बैंक की प्रक्रिया को समझा.

		- आरबीआई के नियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना और प्रावधान के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों के आधार पर नमूना परीक्षण किया गया. - ऋण खातों के लिए, जहां बैंक ने ऐसे प्रावधान किए थे जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं थे, हमने इन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की.
Ii.	**निवेश का मूल्यांकन** निवेश को ट्रेजरी ऑपरेशंस और बिजनेस ऑपरेशंस के तहत वर्गीकृत किया गया है. निवेश में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का कवर मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान. उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे FBIL/FIMMDA दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है. हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कुछ निवेशों (बांड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य का निर्धारण करने में शामिल प्रबंधन निर्णय के कारण एनपीआई की एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निवेश के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान की, एचटीएम आधारित पुस्तक के लिए हानि मूल्यांकन प्रबंधन निर्णय पर, विनियामक फोकस की डिग्री और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व शामिल है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है. विशेष रूप से - • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा; • हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और मूल्यांकन किया; • हाथ में निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई मास्टर सर्कुलर और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया; • हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और बनाए रखने के प्रावधान की पुनः गणना की और यदि एनपीआई के चयनित नमूने के लिए आय का संचय आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.

Iii.	**वित्तीय रिपोर्टिंग पर मैन्युअल नियंत्रण:** संस्था संचालन की स्थापना के प्रारंभिक चरण में है और खातों की पुस्तकों को टैली सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया है. वित्तीय लेन-देन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पर आईटी नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण, हमने इस क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है.	हमने संस्था द्वारा किए गए आय और व्यय को सत्यापित करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी की हैं. जहां भी लागू हो, लेनदेन की उचितता को सत्यापित करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं की गईं.

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

4. संस्थान का प्रबंधन अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है. इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और, ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है.

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का दायित्व

5. संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है, जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022 के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांत के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है.

इस उत्तरदायित्व में संस्थान की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन संस्थान की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो संस्थान को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है जब तक प्रबंधन या तो संस्थान को समाप्त करना चाहता है या परिचालन बंद करना चाहता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक लागू होने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के आधार पर चल रही चिंता का उपयोग करना.

संस्था का प्रबंधन संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किए गए एक ऑडिट में हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता चलेगा. धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है.

   एसए के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं. हम / इसके अतिरिक्त:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं.

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों में लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार के उपयोग की उपयुक्तता और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो संस्थान की क्षमता को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकलना.

- यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को बदलने के लिए. हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं. हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण संस्थान एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है.

- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्राप्त करता है, का मूल्यांकन करना.

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने के लिए सोचा जा सकता है.

शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं.

हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे संचार के प्रतिकूल परिणामों के यथोचित रूप से जनहित से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और लाभ और हानि का विवरण नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

   (बी) संस्थान के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, संस्थान की शक्तियों के भीतर हैं;

   (सी) हमारी राय में, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित खाते की किताबें रखी गई हैं;

   (डी) तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट से निपटने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों के अनुरूप हैं;

   (ई) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं.

8. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा आवश्यक है, "सांविधिक लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

(ए) हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

(बी) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.

(सी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

(डी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए में दी गई है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है.

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
FRN- 110266W

जे सिंह
साझेदार
M.No. 042023
UDIN: 23042023BGSBSL4445
स्थान: मुंबई
दिनांक : अप्रैल 20, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध "ए"

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 8 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार")

हमने 31 मार्च, 2023 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ("द इंस्टीट्यूशन") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट भी की है. जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया" द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है.

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है. हमने अपना ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए गाइडेंस नोट

("गाइडेंस नोट, और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसए) मानक") के अनुसार किया आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक. आईसीएआई द्वारा, जहां तक वो लागू हुए.

उन मानकों और गाइडेंस नोट द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं.

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो.

हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, बैंक की आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और यह कि बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है.

अभिमत

"भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड, हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
FRN- 110266W

जे सिंह
साझेदार
M.No. 042023
UDIN: 23042023BGSBSL4445
स्थान: मुंबई
दिनांक : अप्रैल 20, 2023

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु करोड़ में)

	अनुसूचियां	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वित्त वर्ष 2022)
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
आस्तियां			
वित्तीय आस्तियां			
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	-	-
2. बैंकों के पास अतिशेष	II	12,941.01	14,991.54
3. व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	-	-
4. ऋण	IV	9,753.74	-
5. विनिधान	V	4,340.60	10,005.27
6. अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	275.90	125.43
गैर वित्तीय आस्तियां			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	1.62	0.04
2. सद्भावना		-	-
3. अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	0.24	-
4. वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6. अन्य गैर -वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	2.03	-
कुल आस्तियां		**27,315.13**	**25,122.29**
साधारण शेयर और देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
1. जमा राशियां	X	-	-
2. उधार	XI	800.48	-
3. ऋण प्रतिभूतियां	XII	-	-
4. व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों		-	-
5. अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	11.65	2.07
गैर वित्तीय देनदारियां			
1. वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. आस्थगित कर देनदारियां		-	-
3. अन्य गैर वित्तीय देनदारियां (उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	41.87	-
कुल देनदारियां		**854.00**	**2.07**

शेयरधारकों की निधि		-	-
(ए) शेयर पूँजी	XV	20,000.00	20,000.00
(बी) भंडार और अधिअतिशेष	XVI	6,461.13	5,120.22
कुल		**26,461.13**	**25,120.22**
कुल साधारण शेयर और देनदारियां		**27,315.13**	**25,122.29**
आकस्मिक देनदारियां	XVII	270.00	-

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह	**मोनिका कालिया**	**टी.एन. मनोहरन**	**राज किरण रै जी**
साझेदार	**(डीएमडी-सीएफओ)**	**(निदेशक)**	**(प्रबंध निदेशक)**
सदस्यता संख्या042023	**DIN:08579733**	**DIN: 01186248**	**DIN: 07427647**
स्थान - मुंबई	**मृणाल गोस्वामी**	**सैमुअल जोसफ जेबराज (डीएमडी-एल एंड पीएफ)**	**बी. एस. वेंकटेश**
दिनांक: अप्रैल 20, 2023	**(ट्रेजरी प्रमुख)**	**DIN: 02262530**	**(डीएमडी-सीआरओ)**
			DIN: 08489577

अनुसूची-I भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1. उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष	-	-
कुल (1+2)	-	-

अनुसूची II: बैंकों के पास अतिशेष

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1. **भारत में**		
ए. चालू खातों में	0.02	0.04
बी.अन्य जमा खातों में	12,940.99	14,991.50
2. **भारत के बाहर**		
ए. चालू खातों में	-	-
बी. अन्य जमा खातों में	-	-
कुल (1+2)	**12,941.01**	**14,991.54**

अनुसूची III: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्कर

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)			31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)		
	(लेखापरीक्षित)			(लेखापरीक्षित)		
भाग I	**आनुमानिक रकम**	**उचित मूल्य-देनदारियां**	**उचित मूल्य-आस्तियां**	**आनुमानिक रकम**	**उचित मूल्य-आस्तियां**	**उचित मूल्य-देनदारियां**
(i)मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-हाजिर और वायदा	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
-खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-

-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
-खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
-फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(iv)साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(v)अन्य व्युत्पन्न(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	-	-	-	-	-	-
भाग II	-	-	-	-	-	-
बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:	-	-	-	-	-	-
(i)उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii)नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:						

	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)निवल विनिधान बचाव व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
(iv)अनामित व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)	-	-	-	-	-	-

अनुसूची IV: ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.(ए)खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
(बी)मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
(सी)मीयादी ऋण	9,753.74	-
(डी)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	**9,753.74**	**-**
2.(ए) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	5,753.63	-
(बी)अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(सी)बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
(डी)प्रतिभूति रहित	4,000.11	-
उप-योग(2)	**9,753.74**	**-**
3.(ए) भारत में ऋण	9,753.74	-
(बी)भारत के बाहर ऋण	-	-
उप-योग(3)	**9,753.74**	**-**
उप-योग(1),(2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	**9,753.74**	**-**

अनुसूची V: विनिधान [मूल्यह्रास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.भारत में विनिधान		
(ए)केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4,340.60	10,005.27
(बी)बैंको और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
(सी)बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(डी)म्यूच्वुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-
(ई)अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(एफ़)सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान	-	-
(जी)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	**4,340.60**	**10,005.27**
2. भारत के बाहर विनिधान		
(ए)सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(बी) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
(सी)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	**4,340.60**	**10,005.27**

अनुसूची VI-अन्य वित्तीय आस्तियां

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.प्राप्य राशि	-	-
2.बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	275.90	125.43
कुल	**275.90**	**125.43**

अनुसूची VII-संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर (मूल्यह्रास का योग)

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.संपत्ति		
(ए)पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(डी) आज तक मूल्यह्रास	-	-
2.संयंत्र और उपस्कर	-	-
(ए) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(डी) आज तक मूल्यह्रास	-	-
3.अन्य निर्धारित आस्तियां	**1.62**	**0.04**
(ए) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	0.04	0.00
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.84	0.05
(सी)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(डी) आज तक मूल्यह्रास	0.26	0.01
कुल (1+2+3)	**1.62**	**0.04**

अनुसूची VIII-अन्य अमूर्त आस्तियां

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.अन्य अमूर्त आस्तियां (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	0.24	-
(ए) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.26	-
(सी)वर्ष के दौरान कटौती	-	-

(डी) आज तक मूल्यह्रास	0.02	-
कुल	**0.24**	**-**

अनुसूची IX-अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2. पूर्वसंदत्त व्यय	0.14	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	1.89	-
कुल	**2.03**	-

अनुसूची X-जमा

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.बैंकों से	-	-
2.अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल(1+2)	**-**	**-**

अनुसूची XI-उधार

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.भारत में उधार		
ए. भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
बी. भारत सरकार से	-	-
सी. बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
डी. मियादी मुद्रा उधार	-	-
ई. अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	800.48	-

उप-योग(1)	**800.48**	-
2.भारत के बाहर उधार		
ए. बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
बी. अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	**-**	**-**

अनुसूची XII-ऋण प्रतिभूतियां*

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां		
ए. बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
बी. वाणिज्यिक पेपर	-	-
सी. जमा राशि का प्रमाणपत्र	-	-
डी. अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-
2.भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां	-	
ए. बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
बी. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	-	-

*भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ऋण प्रतिभूतियों को इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाएगा.

अनुसूची XIII-अन्य वित्तीय देनदारियां

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. प्रोदभूत ब्याज	-	-

2. असंदत्त लाभांश	-	-
3. असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	11.65	2.07
कुल	**11.65**	**2.07**

अनुसूची XIV-अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	-
2. उपबंध	39.78	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	2.09	-
कुल	**41.87**	-

अनुसूची XV- शेयर पूँजी

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1.प्राधिकृत पूँजी		
ए. साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,000,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	1,00,000.00
2.जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
ए. साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,000,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	20,000.00
कुल शेयर पूंजी	**20,000.00**	**20,000.00**

अनुसूची XVI-आरक्षित और अधिअतिशेष

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.आरक्षित निधि		
(राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित)		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	23.94	0.00
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	209.28	23.94
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	233.22	23.94
2.आरक्षित पूंजी		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	5,000.52	-
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	294.53	5,000.52
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग		-
(डी)अंतिम अतिशेष	5,295.05	5,000.52
3.आरक्षित विनिधान		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	-	-
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(बी)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	-	-
5.पुनर्मूल्यन आरक्षित		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	-	-

6.सामान्य आरक्षित		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	-	-
7. लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	95.76	-
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	837.11	95.76
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	932.87	95.76
8.अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(ए)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(सी)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(डी)अंतिम अतिशेष	-	-
कुल आरक्षित और अधिशेष	**6,461.13**	**5,120.22**

अनुसूची XVII-आकस्मिक देयताएं

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	270.00	-
3. अग्रिम संविदाओं के लेखे	-	-
4. हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
कुल	**270.00**	-

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

		31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023) (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022) (लेखापरीक्षित)
आय			
ब्याज और बट्टा	XVIII	1,121.89	122.74
शुल्क और कमीशन आय		-	-
विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	XIX	-	-
अन्य आय	XX	5.18	-
कुल आय		**1,127.07**	**122.74**
व्यय			
वित्तीय लागत	XXI	3.29	-
शुल्क और कमीशन आय		-	-
वित्तीय आस्तियों पर उपबंध	XXII	39.78	-
कर्मचारी लाभ	XXIII	10.23	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास और हानि		0.28	0.01
अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		-	-
अन्य व्यय	XXIV	27.10	3.04
कुल व्यय		**80.68**	**3.05**
करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		1,046.39	119.70
असाधारण मद		-	-
करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		**1,046.39**	**119.70**
कर व्यय		-	-
i. वर्तमान कर		**-**	**-**
ii. आस्थगित कर		-	-
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		**1,046.39**	**119.70**
विनियोजन			
ए. सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
बी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन		-	-

विशेष आरक्षित में स्थानांतरण			
सी. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण		209.28	23.94
डी. अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)		-	-
ई. लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया		**837.11**	**95.76**
प्रति शेयर आय			
ए. आधार		0.52	0.06
बी. मंदित		0.52	0.06

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह	**मोनिका कालिया**	**टी.एन. मनोहरन**	**राज किरण रै जी**
साझेदार	**(डीएमडी-सीएफओ)**	**(निदेशक)**	**(प्रबंध निदेशक)**
सदस्यता संख्या042023	**DIN:08579733**	**DIN: 01186248**	**DIN: 07427647**

स्थान - मुंबई
दिनांक: अप्रैल 20, 2023

मृणाल गोस्वामी
(विभाग प्रमुख, ट्रेजरी)

सैमुअल जोसफ जेबराज
(डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

बी. एस. वेंकटेश
(डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

अनुसूची XVIII-ब्याज और बट्टा

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. ऋण और अग्रिम पर ब्याज और छूट आय	43.42	-
2. विनिधान पर ब्याज और छूट आय	733.19	122.74
3. बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	343.50	-
4. अन्य ब्याज आय (निर्दिष्ट किया जाना है)	1.78	-
कुल	**1,121.89**	**122.74**

अनुसूची XIX- विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: विनिधान की बिक्री पर हानि	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची XX-अन्य आय

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	5.18	-
2. विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
4. विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)	-	-
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	**5.18**	-

अनुसूची XXI-वित्त लागत

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. उधार पर ब्याज	3.29	-
3. ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	-
4. अन्य ब्याज खर्च (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	**3.29**	**0.00**

अनुसूची XXII- वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. मानक ऋण के लिए उपबंध	39.01	-
3. लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध	0.77	-
4. अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उल्टाव	-	-
कुल	**39.78**	-

अनुसूची XXIII: कर्मचारी लाभ

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. बोनस सहित वेतन और मजदूरी	3.04	-
2. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर बोनस सहित वेतन और मजदूरी	7.14	
3. भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
4. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.04	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा_	0.01	-
कुल	**10.23**	**-**

अनुसूची XXIV: अन्य खर्चे

(राशि रु करोड़ में)

	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. किराया, दरें और कर	5.65	0.02
2. बिजली और अन्य सुविधाएं	0.01	-
3. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.03	-
4. संचार लागत	-	-
5. विज्ञापन और प्रचार	0.13	0.03
6. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	1.85	0.01
7. लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.30	0.14
8. कानूनी और पेशेवर शुल्क	16.35	1.83
9. मरम्मत और रखरखाव	-	-
10. बीमा	.-	-
11. अन्य व्यय*	2.78	1.01
कुल	**27.10**	**3.04**

* 'अन्य व्यय' उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, को अलग से दर्शाया जाना है.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**वर्ष समाप्ति**	
	31.03.2023 (वित्त वर्ष 2023)	**31.03.2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पी एंड एल खाते के अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ	**1,046.39**	**119.69**
.. के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास	(0.28)	0.00
प्रारंभिक एक्सप्रेस w/o	-	-
किए गए प्रावधान (वापस लिखने का शुद्ध)	37.96	1.30
जमा पर उपार्जित ब्याज	(109.13)	-
निवेश पर उपार्जित ब्याज	(76.88)	(89.89)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.77	-
निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	-
संचालन से उत्पन्न नकदी	**898.33**	**31.11**
इसमें शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन:		
वर्तमान संपत्ति	33.51	(35.54)
वर्तमान देनदारियां	12.72	0.77
सावधि जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट	800.48	-
विनिमय बिल	-	-
ऋण और अग्रिम	(9753.74)	-
बॉन्ड और डिबेंचर और अन्य उधार की शुद्ध आय	-	-
जमा प्राप्त	-	-
कर का भुगतान	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)	**(8,008.20)**	**(3.66)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-
शुद्ध (खरीद) / अचल संपत्तियों की बिक्री	(2.05)	(0.04)
शुद्ध (खरीद)/निवेशों की बिक्री	5,664.68	(10,005.27)
निवेश पर प्राप्त लाभांश निवेश	-	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)	**5,662.63**	**(10,005.32)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-
शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम जारी करने से प्राप्त पूंजी	-	20,000.00
प्राप्त अनुदान	-	5,000.00
अनुदान पर ब्याज	295.05	0.52
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)	**295.05**	**25,000.52**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(2,050.53)**	**14,991.54**

अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**14,991.54**	**0.00**
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**12941.01**	**14,991.54**
कॅश हाथ में	-	-
बैंक के साथ चालू खाता शेष	0.02	0.04
म्यूचुअल फंड्स	-	-
जमा	12,940.99	14,991.50

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह	**मोनिका कालिया**	**टी.एन. मनोहरन**	**राज किरण रै जी**
साझेदार	**(डीएमडी-सीएफओ)**	**(निदेशक)**	**(प्रबंध निदेशक)**
सदस्यता संख्या/042023	**DIN:08579733**	**DIN: 01186248**	**DIN: 07427647**

स्थान - मुंबई	**मृणाल गोस्वामी**	**सैमुअल जोसफ जेबराज**	**बी. एस. वेंकटेश**
दिनांक: अप्रैल 20, 2023	**(विभाग प्रमुख, ट्रेजरी)**	**(डीएमडी-एल एंड पीएफ)**	**(डीएमडी-सीआरओ)**
		DIN: 02262530	**DIN: 08489577**

अनुसूची XXVI : खातों पर टिप्पणियाँ

1. <u>संस्थागत प्रोफाइल:</u>

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्था") की स्थापना 28 मार्च, 2021 को संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 ("नैबफिड अधिनियम, 2021") के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में पारीत किया गया है.

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य भारत या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना होगा, ताकि विकास को समर्थन देने के लिए संबंधित संस्थानों के निर्माण और सुधार की सुविधा मिल सके. घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजारों सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण.

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा, और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से भारत में या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना होगा. भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 की धारा 25 के अनुसार संस्था के तुलन पत्र और लेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास (नैबफिड) के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता विवरण और नैबफिड के सामान्य रेग्युलेशन की धारा 4(जे), दिनांक 02 मार्च, 2022 के अनुसार त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच और लेखापरीक्षका रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है. दि. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणियाँ, मेसर्स जे सिंह एंड असोसिएट, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की गयी हैं.

2. <u>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति</u>

ए. तैयार करने के आधार:

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 ("नैबफिड अधिनियम, 2021) और कंपनी (लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित लेखा मानकों के साथ वित्तीय विवरणों को सभी भौतिक मामलों में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है. इस अनुसूची के अनुसार या कुछ परिस्थितियों में आवश्यक संशोधन के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में लेखा मानकों (एएस) सहित (वर्तमान, गैर-वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करने के विकल्प को छोड़कर) प्रासंगिक एएस द्वारा प्रदान किया गया) जैसा कि संस्थान के लिए लागू होता है, को उपचार या प्रकटीकरण में किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तीय विवरणों या बयानों के हिस्से के रूप में शीर्ष या उप-शीर्ष में कोई परिवर्तन, संशोधन, प्रतिस्थापन या विलोपन शामिल है. किया जाएगा और इस अनुसूची के तहत आवश्यकताओं को तदनुसार संशोधित किया जाएगा. वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो.

ये वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 यथासंशोधित के तहत तैयार किए गए हैं. ये वित्तीय विवरण भारत में लागू सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा निर्धारित लेखा मानकों (AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं.

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में करोड़ों में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो.

बी. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होगी और प्रबंधन को अनुमान लगाने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी जो कि संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करते हैं. और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय. प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं. हालाँकि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से पहचाना जाता है.

सी. राजस्व मान्यता:

राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब संविदात्मक प्रदर्शन के रूप में आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ संस्था को प्रवाहित होंगे और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है.

ए. आय:

i. गैर-निष्पादित आस्तियों के मामले को छोड़कर, जहां इसे वसूली पर मान्यता दी जाती है, दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

ii. लाभ और हानि खाते में आय को सकल यानी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों से पहले और संस्थान की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के अनुसार दिखाया गया है.

iii. प्रतिबद्धता शुल्क, सेवा शुल्क और रॉयल्टी आय मानक (निष्पादित) संपत्तियों के संबंध में उपार्जित आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

iv. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थानों में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.

v. गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जानी है:

ए. यदि सुविधा अनुबंध में विनियोग का पदानुक्रम दिया गया है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए.

बी. एनपीए में वसूली के विनियोग के उद्देश्य से बैंक और उधारकर्ता के बीच एक स्पष्ट समझौते के अभाव में (अर्थात् मूलधन या बकाया ब्याज के लिए), संस्था एक लेखांकन सिद्धांत अपनाएगी और एक समान और सुसंगत तरीके से वसूली के विनियोग के अधिकार का प्रयोग करे.

सी. यदि ब्याज, मूलधन या शुल्क एक ही तिथि पर देय हों, तो विनियोग निम्नलिखित पदानुक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए.

i. लागत और शुल्क

ii. एनपीए की तारीख तक अतिदेय ब्याज,

iii. अतिदेय मूल राशि,

iv. दंडात्मक ब्याज.

v. ब्याज

vi. मूल राशि

vi. प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से ऋणों और अग्रिमों की बिक्री पर लाभ/हानि को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी गई है. पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूली गई राशियों को लाभ और हानि खाते में आय के रूप में पहचाना जाता है.

vii. निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि: किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. हालांकि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में एक समान राशि को संपत्ति कोष में विनियोजित किया जाता है.

viii. सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दावा न की गई देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है.

बी. खर्च :

i. सभी व्ययों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है.

ii. जारी किए गए ऋणपत्र और वाणिज्यिक पत्रों पर छूट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है. बॉन्ड जारी करने से संबंधित खर्च बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किए जाएंगे.

डी. निवेश :

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश सूची को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है. निवेश का मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है.

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

iii. शेयर,

iv. डिबेंचर तथा बॉण्ड

v. सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(ए) परिपक्वता के लिए आयोजित:

परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से अर्जित निवेश को परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. इस तरह के निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, इस मामले में प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है. सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इस श्रेणी के तहत निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा कमी प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है.

(बी) ट्रेडिंग के लिए रखा गया:

अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के इरादे से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए प्राप्त किए गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है. इस श्रेणी में निवेश का पुनर्मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाता है और निवल वृद्धि/मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में अलग-अलग स्क्रिपों के बही मूल्य में संबंधित परिवर्तन के साथ पहचाना जाता है. ट्रेडेड/उद्धृत निवेशों के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों/कोट्स से लिया जाता है.

(सी) बिक्री के लिए उपलब्ध:

i. उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है. किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है. अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है.

ii. कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है.

iii. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र,

ए. यदि उद्घृत किया गया है, तो बाजार मूल्य पर किया जाएगा.

बी. यदि उद्घृत नहीं किया गया है, तो लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा.

iv. उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्दत नहीं है/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है.

v. निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है.

vi. निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है.

vii. जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं.

viii. निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है.

ix. अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है.

x. ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि- ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है.

xi. म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है. गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है, यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध है, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 1/- पर.

xii. उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है. एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं.

ई. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस)-11 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन किया जाता है. लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्राओं में खाते की पुस्तकों में विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों और गारंटियों के संबंध में की जाती है; स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('फेडाई') द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर की जाती है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को FEDAI द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. विदेशी मुद्रा एलओसी पर पुनर्मूल्यांकन अंतर को एक्सचेंज जोखिम के प्रबंधन के लिए खोले और बनाए गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है.

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों को बाजार के लिए चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है. डेरिवेटिव अनुबंधों के तहत कोई भी प्राप्य जो 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहता है और समान प्रतिपक्षों के साथ अन्य डेरिवेटिव अनुबंधों पर मार्क-टू-मार्केट लाभ को लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है.

एफ. ऋण और अग्रिम

i. ऋण और अन्य सहायता सूची का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदर्शनकारी और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है. गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

ii. तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम गैर-निष्पादित अग्रिमों और पुनर्गठित संपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का शुद्ध हैं.

iii. स्टैंडर्ड एसेट्स पर सामान्य प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

iv. फ्लोटिंग प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बनाया और उपयोग किया जाता है.

जी. कराधान:

i. कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं. वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 और आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है.

ii. आस्थगित आय कर वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच वर्तमान वर्ष के समय के अंतर और पिछले वर्षों के समय के अंतर को उलटने के प्रभाव को दर्शाते हैं. आस्थगित कर की गणना कर की दरों और तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है .

iii. आस्थगित कर संपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है. पहले के वर्षों की गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह यथोचित रूप से निश्चित हो गया है कि भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि के मामले में, आस्थगित कर संपत्तियों को तभी मान्यता दी जाएगी जब ऐसी संपत्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो.

iv. विभागीय अपील सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के तहत शामिल किया गया है, यदि उन्हें संस्था द्वारा कानूनी राय/न्यायिक मिसाल/मूल्यांकन के आधार पर संभावित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

एच. प्रतिभूतीकरण:

i. संस्थान विशेष प्रयोजन माध्यम साधन द्वारा जारी पास-थ्रू सर्टिफिकेट के माध्यम से बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से क्रेडिट रेटेड एसेट पूल खरीद सकते हैं. इस तरह के प्रतिभूतिकरण लेनदेन को निवेश उद्देश्य के आधार पर ट्रेडिंग के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के तहत निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

ii. संस्था द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशन के तहत संपत्ति का क्रेडिट रेटेड पूल खरीद सकती है. इस तरह के प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन को संस्था द्वारा 'अग्रिम' के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

iii. संस्था सीधे समनुदेशन के माध्यम से ऋण और अग्रिम की बिक्री कर सकती है. अधिकांश मामलों में, संस्था इन लेनदेनों के तहत बेचे गए ऋणों और अग्रिमों को चुकाना जारी रख सकती है और बेचे गए ऋणों और अग्रिमों पर अवशिष्ट ब्याज की हकदार हो सकती है. संपत्ति पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धांत के आधार पर सीधे असाइनमेंट के तहत बेची गई संपत्तियों को संस्था की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है.

iv. बेचे गए ऋणों और अग्रिमों पर अवशिष्ट ब्याज को अंतर्निहित ऋणों और अग्रिमों के जीवनकाल में मान्यता दी जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ/प्रीमियम को दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है. बिक्री के समय तुरंत प्रतिभूतिकरण से होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक खाता है. प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से ऋण परिसंपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शुद्ध आय को बेची गई आस्तियों के जीवन पर परिशोधित किया जाता है और प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से ऋण आस्तियों की बिक्री से शुद्ध आय, बिना किसी आश्रय दायित्व के, बिक्री के समय मान्यता प्राप्त होती है. बिक्री के

समय ऋण परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन के कारण होने वाली शुद्ध हानि की गणना की जाती है.

आई. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय संपत्तियों की बिक्री:

i. एनपीए की बिक्री नकद आधार पर या सुरक्षा रसीद (एसआर) में निवेश के आधार पर होती है. एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल या उसके हिस्से को एसआर के रूप में निवेश के रूप में माना जाता है. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों का मूल्यांकन समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

ii. परिसंपत्तियां यदि नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) से कम मूल्य पर बेची जाती हैं (अर्थात धारित बुक वैल्यू कम प्रावधान), कमी को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है, तो धारित अतिरिक्त प्रावधान राशि प्राप्त होने वाले वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस किया जा सकता है. अतिरिक्त प्रावधान का उत्क्रमण उस सीमा तक सीमित है जिस तक प्राप्त नकदी परिसंपत्ति के एनबीवी से अधिक है.

जे. कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान

i. नई पेंशन योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है और इसे कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से चुना जा सकता है. संस्था पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और संस्था का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित होता है. योगदान लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है.

ii. सेवा में रहते हुए लाभ (लघु-अवधि) : अल्पावधि लाभों के कारण देयता का निर्धारण बिना छूट के आधार पर किया जाता है और सेवा की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है, जो कर्मचारियों को ऐसे लाभों के लिए पात्र बनाती है.

के. अचल संपत्ति और मूल्यह्रास

i. अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से कम संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि के रूप में बताया गया है, यदि कोई हो

ii. परिसंपत्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग में लाने से पहले संपत्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं. उपयोग की जाने वाली संपत्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी संपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है. संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है.

iii. मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है -

1. फर्नीचर और फिक्स्चर मूल्यह्रास @ 20% सीधी रेखा विधि (5 वर्ष उपयोगी जीवन)
2. आईटी उपकरण (अर्थात कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि और सॉफ्टवेयर) @ 33.33% स्ट्रेट लाइन विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)
3. डब्ल्यूडीवी आधार पर 5 प्रतिशत की दर से भवन विद्युत प्रतिष्ठान: स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)
4. मोटर कार - सीधी रेखा पद्धति @ 50 प्रतिशत (2 वर्ष उपयोगी जीवन)
5. कार्यालय उपकरण @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन

iv. वृद्धि/नए अधिग्रहण पर मूल्यह्रास पूंजीकरण की तारीख से यथानुपात प्रदान किया जाता है और बिक्री/निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है.
v. लीजहोल्ड भूमि को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

एल. आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के लिए प्रावधान

एएस-29 प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के अनुसार, संस्था प्रावधानों को तब पहचानती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है . वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है. आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया है और तुलन पत्र में खुलासा किया गया है और तुलन पत्र की अनुसूची के माध्यम से विवरण दिया गया है. प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है.

एम. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के संबंध में प्रावधान मानदंड:

ए) धोखाधड़ी का पता चलने पर बैंकों को सामान्य रूप से बैंक को देय पूरी राशि या जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है (जमा खातों के मामले सहित) के लिए तुरंत प्रदान करना चाहिए. प्रावधानीकरण आवश्यकता की गणना करते समय, बैंक बेसल III पूंजी विनियमों के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकते हैं - क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (मानकीकृत दृष्टिकोण), यदि कोई हो, धोखाधड़ी खाते के रूप में घोषित खातों के संबंध में उनके पास उपलब्ध है;

बी) हालांकि, तिमाही लाभ और हानि पर इस तरह के प्रावधान के प्रभाव को कम करने के लिए, बैंकों के पास धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू करते हुए, चार तिमाहियों से अधिक की अवधि के लिए प्रावधान करने का विकल्प होता है;

सी) जहां बैंक दो से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के लिए प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, बैंकों को 'अन्य रिजर्व'

[अर्थात, शर्तों में बनाए गए रिजर्व के अलावा अन्य रिजर्व को डेबिट करना चाहिए. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान न की गई शेष राशि के प्रावधानों को क्रेडिट करके. हालांकि, बैंकों को डेबिट को 'अन्य रिजर्व' में आनुपातिक रूप से रिवर्स करना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान पूरा करना चाहिए;

डी) बैंक रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या, इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा और वर्ष के अंत में 'अन्य रिजर्व' से डेबिट किए गए गैर-परिशोधित प्रावधान की मात्रा के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे. (संदर्भ: आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 अक्टूबर 1, 2021).

एन. अनुदान एवं सब्सिडी

लेखा मानक 12 के अनुसार - सरकारी अनुदान, अनुदान और सरकार और अन्य एजेंसियों से सब्सिडी अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार हिसाब में ली जाती है.

ओ. परिचालन पट्टा

लेखा मानक 19 के अनुसार - पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे के भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि में लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है.

पी. आस्तियों की क्षति

लेखांकन मानक 28- संपत्तियों की हानि के अनुसार, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संपत्ति की अग्रणी राशि की समीक्षा की जाती है, यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत है, तो पहचानने के लिए,

ए) क्षति हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई आवश्यक हो; या

बी) रिवर्सल, यदि कोई हो, पिछली अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि हानि के लिए आवश्यक है.

क्षति हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है.

क्यू. नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से कैश और कैश समकक्षों में कैश इन हैंड, आरबीआई के पास बैलेंस, अन्य बैंकों के पास बैलेंस और म्यूचुअल फंड में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ निवेश शामिल है.

आर. प्राथमिक खर्च

संस्था की स्थापना वर्ष में प्रारंभिक खर्च और पूर्व-परिचालन खर्च को पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

3. इंड -ए एस का कार्यान्वयन:

जैसा कि सभी एआईएफआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, एआईएफआई द्वारा इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया गया है. तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (नैबफिड NaBFID) के वित्तीय विवरण एएस जीएएपी के तहत तैयार किए जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एएस के लिए निर्देश के अनुसार , इंड एएस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रपत्रों को नैबफिड द्वारा अपनाया जाएगा.

4. आयकर के लिए प्रावधान:

वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2022 को अपने पत्र के माध्यम से नैबफिड (NaBFID) को उसके द्वारा उपार्जित या अर्जित आय के संबंध में, आकलन वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाली अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए आयकर की प्रयोज्यता के लिए छूट प्रदान की है.

5. अनुसूची II के तहत बैंकों के साथ अथशेष राशि:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा मार्च 31, 2023**	**यथा मार्च 31, 2022**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
1. **भारत में**		
ए. चालू खाते में	0.01	0.04
बी . अन्य जमा खाते में		-
सावधि जमा	7,685.00	9,965.00
सावधि जमा (सुरभि)	63.78	26.50
सावधि जमा – अनुदान राशि	5,192.22	5,000.00
2. **भारत से बाहर**		
ए. चालू खाते में	-	-
बी. अन्य जमा खाते में	-	-
योग (1+2)	**12,941.01**	**14,991.54**

6. अनुसूची VI के तहत अन्य वित्तीय संपत्तियों में अन्य का विवरण:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा मार्च 31, 2023 (लेखापरीक्षित)	यथा मार्च 31, 2022 (लेखापरीक्षित)
3. अन्य		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	123.98	47.10
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	47.97	42.78
अग्रिम आयकर	0.00	35.53
सुरक्षा जमा खाते में योगदान	0.02	0.02
अनुदान सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	103.94	-
कुल	**275.90**	**125.43**

7. <u>अनुसूची XIII के तहत अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल अन्य का विवरण:</u>

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा मार्च 31, 2023 (लेखापरीक्षित)	यथा मार्च 31, 2022 (लेखापरीक्षित)
विविध लेनदार	11.27	0.77
व्यय देय खाते के लिए प्रावधान	0.11	1.17
अन्य विविध देयताएं	0.27	0.13
कुल	**11.65**	**2.07**

8. <u>अनुसूची XIV के तहत अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों में शामिल प्रावधानों का विवरण</u>

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा मार्च 31, 2023 (लेखापरीक्षित)	यथा मार्च 31, 2022 (लेखापरीक्षित)
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.77	-
मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	39.01	-
योग	**39.78**	**-**

9. <u>अनुसूची XVIII के तहत ब्याज और छूट में अन्य ब्याज आय का विवरण:</u>

वित्त वर्ष 2022 में भुगतान किए गए अग्रिम आयकर पर संस्थान ने रुपये 1,77,66,061/- का ब्याज अर्जित किया है

10. <u>अनुसूची XXIII के तहत कर्मचारी लाभ में अन्य का विवरण:</u>

संस्थान ने 31.03.2023 को 78,000/- रुपये के "कर्मचारी लाभ उप खंड 4: अन्य" के तहत प्रशिक्षण और भागीदारी शुल्क खर्च किया है.

11. <u>अन्य व्यय का विवरण- अनुसूची XXIV के अंतर्गत अन्य व्यय:</u>

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**मार्च 31, 2023 (वित्त वर्ष 2023)**	**मार्च 31, 2022 (वित्त वर्ष 2022)**
	(लेखापरीक्षित)	**(लेखापरीक्षित)**
अन्य विविध व्यय	0.54	1.02
बॉन्ड जारी करने का खर्च	1.08	-
सदस्यता	1.17	-
योग	**2.79**	**1.02**

12. <u>प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस -20):</u>

संस्था एएस 20 के अनुसार मूल और विलेय प्रति शेयर अर्जित आय की रिपोर्ट करती है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है. मार्च 31, 2023 तक संस्थान का ईपीएस 0.52 है.

13. प्रस्तावित लाभांश शून्य है.

14. **<u>लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक</u>**

लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**मार्च 31, 2023 (वित्त वर्ष 2023) (लेखापरीक्षित)**	**मार्च 31, 2022 (वित्त वर्ष 2022) (लेखापरीक्षित)**
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.11	0.10
टैक्स ऑडिट फीस	0.05	0.04
सीमित समीक्षा शुल्क	0.08	-
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण	0.05	-
अन्य प्रमाण पत्र	0.01	-

15. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि के संदर्भ में संस्था की अचल परिसंपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं है.

16. लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत प्रकटीकरण के संदर्भ में आकस्मिकताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

17. **<u>निवेशकों की शिकायतें:</u>**

मार्च 2023 की अंतिम तिथि तक शून्य निवेशक की शिकायतें हैं.

18. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, वित्त वर्ष 22 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा कुल 1,00,000 करोड़ रुपये (रु.10 प्रत्येक के 10,000 इक्विटि शेयर) की अधिकृत पूंजी में से अधिसूचित 20,000 करोड़ रुपये (रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण रूप से भुगतान किया गया 2,000 करोड़ इक्विटि शेयर) की जारी की गई शेयर पूंजी केंद्र सरकार को आवंटित की गई है. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है.

19. चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने प्रारंभिक चरण में होने के कारण, संस्थान ने मुख्य रूप से बैंकों और टी बिल निवेशों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज द्वारा 1,046.39 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के अंत में संस्थान का परिसंपत्ति आधार 27,315.13 करोड़ रुपये है.

20. नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार, संस्थान एक आरक्षित निधि की स्थापना करेगा, जिसमें ऐसी राशि हस्तांतरित की जा सकती है, जिसे बोर्ड संस्थान के वार्षिक लाभ में से उचित समझे. तदनुसार, संस्थान ने संस्थान को होने वाले वार्षिक लाभ के बीस प्रतिशत (20%) के हस्तांतरण के साथ एक आरक्षित निधि की स्थापना की है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. इसलिए, वर्तमान वित्तीय अवधि के दौरान विशिष्ट आरक्षित निधि के रूप में 209.28 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है.

21. (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कोई भी फंड उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से

पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं.

(ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों की टिप्पणियों में बताया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं.

iii) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि उपरोक्त के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है.

22. **<u>संबंधित पार्टियों की सूची (एएस 18)</u>**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री राजकिरण रै जी	प्रबंध निदेशक
सुश्री मोनिका कालिया	उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री बी एस वेंकटेश	उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक - उधार और परियोजना वित्त
श्री मृणाल गोस्वामी	प्रभारी, ट्रेजरी
सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे	कंपनी सचिव

नोट: नैबफिड का कार्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जा रहा है.

वित्तीय विवरणों में प्रकटन (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार)

1.0 पूंजी पर्याप्तता

(राशि रु करोड़ में)

क्र .सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
i)	आम इक्विटी	26 460.89	25 120.22
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
iii)	कुल टीयर 1 पूंजी (i+ii)	26 460.89	25 120.22
iv)	टियर 2 पूंजी	-	-
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	-	-
vi)	कुल जोखिम भारित संपत्तियां (आरडबल्यूए)	6 247.23	-
vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	423.56%	-
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	423.56%	-
ix)	कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	423.56%	-
x)	एआईएफआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	100%	100%
xi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	20 000.00	20 000.00.
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसका कि ए.) बेमियादी गैर-संचयी वरीयता शेयर: बी.) सदा ऋण साधन	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसका कि ए.) ऋण पूंजी साधन: बी.) सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) सी.) प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) डी.) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	-	-

2. <u>मुक्त भंडार और प्रावधान:</u>

2.1 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	39.01	शून्य

2.2 फ्लोटिंग प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(ए) फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
(बी) लेखा वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा		
(सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रॉडाउन की राशि		
(डी) फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष		

3. संपत्ति की गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) नेट एनपीए से नेट एडवांस (ii) एनपीए का संचलन (सकल) (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iii) नेट एनपीए का संचलन (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iv) एनपीए के प्रावधानों में बदलाव (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (सी) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें (डी) जमा शेष	शून्य	शून्य

3.2 गैर-निष्पादित निवेश

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) शुद्ध एनपीआई से शुद्ध निवेश (ii) एनपीआई का संचलन (सकल) (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iii) शुद्ध एनपीआई का संचलन (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का संचलन/(मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (सी) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक करें (डी) समापन संतुलन	शून्य	शून्य

3.3 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (3.1 + 3.2)

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) शुद्ध संपत्ति (अग्रिम + निवेश) के लिए शुद्ध एनपीए (%) (ii) एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश) (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iii) नेट एनपीए का संचलन (ए) प्रारंभिक शेष (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन (सी) वर्ष के दौरान कटौती (डी) समापन संतुलन (iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन/(मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) (ए) प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य

(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (सी) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें (डी) समापन संतुलन		

3.4 पुनर्गठित खातों का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किसी खाते का पुनर्गठन नहीं किया गया.

3.5 गैर-निष्पादित संपत्तियों का संचलन

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
लेखा अवधि की आरंभिक तिथि को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए).		
उप-योग (ए)		
कम:-		
(i) उन्नयन		
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		
(iv) ऊपर (iii) के तहत बट्टे खाते में डालने वालों को छोड़कर		
उप-योग (बी)		
31 मार्च तक सकल एनपीए (ए-बी)		

3.6 राइट-ऑफ और वसूली

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
तकनीकी/विवेकपूर्ण का प्रारंभिक शेष,1 अप्रैल को खाते बंद कर दिए गए	शून्य	शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
उप योग (ए)		
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखित खातों से की गई वसूली (बी)		
31 मार्च के अनुसार अंतिम शेष (ए-बी)		

3.7 विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल संपत्ति	शून्य	शून्य
कुल एनपीए		
कुल मुनाफा		

3.8 मूल्यह्रास और निवेश पर प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश		
(ए) भारत में	4464.58	-
(बी) भारत के बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के प्रावधान		
(ए) भारत में	0.77	-
(बी) भारत के बाहर	-	-
(iii) शुद्ध निवेश		
(ए) भारत में	4463.81	-
(बी) भारत के बाहर	-	-
(2) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेष		
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से विनियोग, यदि कोई हो	0.77	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापसी करना	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में स्थानांतरण, यदि कोई हो	-	-
(vi) अंतिम शेष	0.77	-

3.9 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.77	-
एनपीए के लिए प्रावधान	-	-
इनकम टैक्स के लिए किया गया प्रावधान	-	-
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (मानक संपत्तियों पर प्रावधान)	39.01	-

3.10 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

लागू नहीं. 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 को शून्य एनपीए

4. निवेश पोर्टफोलियो: संविधान और संचालन

4.1 रेपो लेनदेन

(राशि रु करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च 2023 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

क्र .सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	'असूचीबद्ध ' प्रतिभूतियों की सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई					

(ii)	वित्तीय संस्थान					
(iii)	बैंक					
(iv)	निजी कॉर्पोरेट्स					
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम					
(vi)	अन्य					
(vii)	प्रावधान के लिए मूल्यह्रास		xxx	xxx	xxx	xxx
	कुल*					

4.3 बिक्री और एचटीएम श्रेणी से / के लिए स्थानांतरण

एचटीएम श्रेणी में/से कोई बिक्री या स्थानांतरण नहीं हुआ

5. खरीदी/बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

5.1 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

ए. बिक्री का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
(i) खातों की संख्या (ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध) (iii) सकल विचार (iv) पिछले वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल (v) नेट बुक पर सकल लाभ/हानि कीमत	शून्य	शून्य

बी. सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य**	
	वित्त वर्ष 2022-23	**वित्त वर्ष 2021-22**
(i) एआईएफआई द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
(ii) अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित		
कुल	**शून्य**	**शून्य**

5.2 खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

ए. खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया		
2. (ए) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या		
(बी) कुल बकाया		

बी. बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण::

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1. बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया		
3. कुल प्रतिफल प्राप्त हुआ		

6. परिचालन परिणाम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
i. वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.33%	
ii. वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.02%	
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	5.16%	
iv. एसेट्स पर रिटर्न	4.98%	
v. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	23.25	

7. क्रेडिट एकाग्रता जोखिम

7.1 पूंजी बाजार एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	शून्य	शून्य
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम;		
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है		
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉन्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा `अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है		
(v) स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट निर्माताओं की तरफ से जारी गारंटी;		
(vi) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कंपनियों को स्वीकृत ऋण;		
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों के विरुद्ध कंपनियों को पुल ऋण;		
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एआईएफआई द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं		
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को वित्तपोषण;		
(x) वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**शून्य**	**शून्य**

7.2 देश के जोखिम के लिए एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च तक आयोजित प्रावधान	31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च तक आयोजित प्रावधान
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22
तुच्छ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कम				
उदारवादी				
उच्च				
बहुत ऊँचा				
वर्जित				
ऑफ-क्रेडिट				
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

7.3 प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट - सिंगल बॉरोअर लिमिट (एसजीएल) / ग्रुप बॉरोअर लिमिट (जीबीएल) पार हो गई

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अधिक जोखिम की संख्या और राशि

क्र.सं.	पैन संख्या	कर्जदार का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	वित्तपोषित राशि	राशि गैर-वित्त पोषित	पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण जोखिम:

विवरण	कुल पूंजीगत निधियों के% के रूप में	कुल संपत्ति के% के रूप में
सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	15.12%	14.64%
सबसे बड़ा कर्जदार समूह	26.45%	25.63%
20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	61.59%	59.67%
20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता समूह	61.59%	59.67%

(iii) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) के लिए ऋण जोखिम

औद्योगिक क्षेत्र (अवसंरचना की सुसंगत सूची के अनुसार)	कुल ऋण परिसंपत्ति के % के रूप में ऋण जोखिम
1. सड़कें	12.00%

2.	रेलवे	24.50%
3.	शक्ति	63.50%
कुल		**100.00%**

(iv) अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी लिया गया है. इस तरह के ऋणों को अन्य पूरी तरह से असुरक्षित ऋणों से अलग करने के लिए प्रकटीकरण एक अलग शीर्षक के तहत किया जाएगा : रु. 149.54 करोड़

(v) फैक्टरिंग एक्सपोजर: शून्य

(vi) वे एक्सपोजर जहां FI ने वर्ष के दौरान प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया था: शून्य

7.4 उधार/क्रेडिट लाइन, क्रेडिट एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण (अलग से दिखाया जाना है

(ए) उधार और ऋण की रेखाओं का संकेंद्रण:

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	शून्य	शून्य
एआईएफआई के कुल उधारों में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत	शून्य	शून्य

(बी) क्रेडिट एक्सपोजर की एकाग्रता

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम	16,298.46	शून्य
एआईएफआई के कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के जोखिम का प्रतिशत	100.00%	शून्य
बीस सबसे बड़े कर्जदारों/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	16,298.46	शून्य
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एआईएफ़आई के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	100.00%	शून्य
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष दस देशों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं

(सी) जोखिम और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेंद्रण

औद्योगिक क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत सूची के अनुसार)	***उपरोक्त 3.4.2 (iii) में दर्शाए गए मुख्य क्षेत्र के लिए क्रेडिट एक्सपोजर%***
1. सड़कें - एचएएम	25.60% सड़कों का
2. सड़कें - टोल	74.40% सड़कों का
3. बिजली - नवीकरणीय	62.30% बिजली की

7.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: शून्य

8. संजात

8.1 फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / इंटरेस्ट रेट स्वैप

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
i.अदला-बदली करारों का कल्पित सिद्धांत ii.यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो वह नुकसान होगा iii.स्वैप में प्रवेश करने पर एआईएफआई द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv.स्वैप से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण v.स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

8.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण		**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
(i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार) की कल्पित	शून्य	शून्य

	मूल राशि		
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव का बाजार मूल्य बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार)	शून्य	शून्य

8.3 व्युत्पन्न में जोखिम जोखिम पर प्रकटीकरण: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई डेरिवेटिव एक्सपोजर नहीं लिया गया.

9. लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) का प्रकटीकरण

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2021-22**
लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) - वर्ष के दौरान जारी किया गया	270.00	0.00
आकलन वित्तीय प्रभाव	मानक और नियमित	लागू नहीं
एलओसी के तहत निर्धारित संचयी वित्तीय दायित्व - अतीत और बकाया	270.00	0.00

10. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

(रुपये करोड़ में)

	1 से 14 दिन	**15 से 28 दिन**	**29 दिन से 3 महीना**	**3 से अधिक महीने और 6 महीना तक**	**से अधिक माह और 1 वर्ष तक**	**1 वर्ष से अधिक & 3 साल तक**	**3 साल से अधिक और 5 साल तक**	**5 से अधिक साल**	**कुल**
जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
आस्तियाँ	0.11	0.00	0.93	23.61	27.46	373.38	535.58	8792.67	**9753.74**
निवेश	2496.45	324.17	1519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4340.60**
उधारी	0.00	800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**800.48**
विदेशी मुद्रा संपत्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
विदेशी मुद्रा देयताएं	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

11. रिजर्व से ड्रा डाउन: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भंडार से कोई ड्रॉ-डाउन नहीं किया गया

12. व्यापार अनुपात

(*राशि रु करोड़ में*)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
लाभांश	4.06%	-
संपत्ति पर वापसी	4.98%	-
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	23.25	-

* प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों सहित

13. आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा: शून्य

14. शिकायत का खुलासा: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली.

15. तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित: शून्य

16. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

17.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

वित्त वर्ष 21-22 और वित्त वर्ष 22-23 के लिए बिना किसी वित्तीय प्रभाव के मूल्यह्रास नीति को बदल दिया गया.

17.2 लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग: नैबफिड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के केवल एक बिजनेस सेगमेंट में काम कर रहा है.

17.3 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अनुसार, संबंधित पार्टियों का खुलासा नीचे किया गया है:

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति
1. श्री राजकिरण रै जी, प्रबंध निदेशक
2. श्री बी एस वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी
3. सुश्री मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी
4. सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे, कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ.

17. अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं:

उपदान देयता के लिए प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया जा रहा है. किसी परिभाषित लाभ योजना के तहत कोई दायित्व नहीं हैं.

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह	**मोनिका कालिया**	**टी.एन. मनोहरन**	**राज किरण रै जी**
साझेदार	**(डीएमडी-सीएफओ)**	**(निदेशक)**	**(प्रबंध निदेशक)**
सदस्यता संख्या042023	**DIN:08579733**	**DIN: 01186248**	**DIN: 07427647**
स्थान - मुंबई	**मृणाल गोस्वामी**	**सैमुअल जोसफ जेबराज**	**बी. एस. वेंकटेश**
दिनांक: अप्रैल 20, 2023	**(विभाग प्रमुख, ट्रेजरी)**	**(डीएमडी-एल एंड पीएफ)**	**(डीएमडी-सीआरओ)**
		DIN: 02262530	**DIN: 08489577**